

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी मुरादाबाद / अमरोहा ।

पत्रांक: भ-35 / सीएफओ-स्कूल / एमडीडी-12(अमरोहा)

दिनांक:—दिसम्बर 13, 2014।

सेवा में,

संयुक्त शिक्षा निदेशक
द्वादस मण्डल मुरादाबाद।

विषय: मा० सर्वोच्च न्यायालय में योजित जनहित याचिका संख्या: 483 / 2004 अवनीश महरोत्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित मा० न्यायालय के आदेश दिनांक: 13-4-2009 के अनुपालन में प्रदेश के स्कूलों / कालिजों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में सचिव उ०प्र० शासन, शिक्षा(7) अनुभाग का शासनादेश संख्या: 1801 / 15-7-09-1 (124) / 2009 दिनांक: 20-07-2009 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में अनापत्ति सम्बन्धी आख्या।

- सन्दर्भ: 1- मुख्य, सचिव उ०प्र० शासन, शिक्षा (6) अनुभाग का शासनादेश संख्या: 1528 / 79 -6-08 दिनांक: 20-07-2009।
2- प्रबन्धक, लिटिल स्कॉलर्स ऐकेडमी जोया अमरोहा रोड, अमरोहा के प्रार्थना पत्र दिनांकित: निल द्वारा अग्निशमन सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता-2005 में उल्लिखित शैक्षिक भवनों के लिये प्राविधानित अग्निशमन सुरक्षा के अनुरूप अधोहस्ताक्षरी द्वारा लिटिल स्कॉलर्स ऐकेडमी जोया अमरोहा रोड, अमरोहा का निरीक्षण किया गया जिनकी आख्या के अनुसार निम्न तथ्य प्रकाश में आये:—

1- स्कूल भवन वर्तमान में भूतल, प्रथम तल एवं द्वितीय तल पर ब्लॉक ए, बी, सी, डी व ई के रूप में निर्मित है। स्कूल भवन के ब्लॉक ए, बी, सी, डी, व ई को इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक: 01-02-2012 के अनुसार पूर्व में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।

2- स्कूल को सी.बी.एस.ई बोर्ड द्वारा अपने पत्र संख्या: सी.बी.एस.ई / एएफएफ / 3703 दिनांक: 22-4-1998 के द्वारा सम्बद्धता प्रदान की गयी है।

3- चूंकि उपरोक्तानुसार अकिंत विवरण के अनुसार उक्त स्कूल पूर्व से मान्यता प्राप्त है। अतः पूर्व से मान्यता प्राप्त विद्यमान संचालित स्कूल भवनों में मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश व तदानुसार निर्गत शासनादेश संख्या: 2203 / 79-6-08 दिनांक: 25-09-2009 के अनुसार स्कूलों में अग्निशमन संयन्त्रों की पर्याप्तता सुनिश्चित करायी जानी है, के अनुसार स्कूल भवन में मानक के अनुसार अग्निशमन संयन्त्रों की पर्याप्तता सुनिश्चित करायी गयी तथा साथ ही स्कूल भवन में निकास मार्गों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करायी गयी है जो निम्नप्रकार है :—

4-(क) अग्निशमन व्यवस्था :— स्कूल में एन०बी०सी० / आई०एस० 2190 मानक के अनुसार पर्याप्त संख्या व क्षमता के अग्निशमन उपकरण उपलब्ध है।

(ख) निकास मार्ग — समस्त भवन ब्लॉकों में ऊपरी तलों से निकास हेतु मानक के अनुसार स्टेयर कैसों का प्राविधान किया गया है जिनकी ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

विशेष उल्लेखनीय है कि नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 के पार्ट-2 के प्रस्तर 3.8 में विद्यमान भवनों हेतु निर्धारित नीति के अनुरूप प्रश्नगत भवन में अधिवासियों के आकस्मिक निकास व अग्निशमन सम्बन्धी व्यवस्थाओं को एन०बी०सी० मानक में निर्धारित अहंताओं के अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

अतः उपरोक्त विषयगत स्कूल को निम्नलिखित अग्निशमन व्यवस्था सम्बन्धी शर्तों के अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया:—

1- वर्तमान में विद्यालय भवन के प्रस्तुत मानचित्र के अतिरिक्त भविष्य में निर्माण करने की दशा में इस विभाग से पुनः अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

PRINCIPAL
LITTLE SCHOLARS' ACADEMY
AMROHA

lmpf/240

- 2— वर्तमान में उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्था को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखना होगा तथा प्रति वर्ष इस प्रकार का प्रमाण पत्र इस विभाग से प्राप्त करना होगा कि उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्था/उपकरण संतोषजनक व कार्यशील दशा में हैं।

3— स्कूल की ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था की वर्तमान दशा पहुंच मार्ग, सैट बैक , फायर स्केप व अग्निशमन व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी नहीं की जायेगी।

4— स्कूल में भोजन/मिड-डे मील आदि तैयार करने सम्बन्धी कार्य केवल भूतल पर निकास मार्ग से दूर टिन शैड में ही किया जायेगा ।

5— उपरोक्त प्रतिबन्धों के उल्लंघन पर निर्गत अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पर स्वतः निरस्त समझा जायेगा

अतः अनिश्चय सुरक्षा व्यवस्था उपरोक्तानुसार पायी गयी, अतः उपरोक्त शर्तों के अधीन लिटिल स्कॉलर्स एकेडमी जोया अमरोहा रोड, अमरोहा को अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

संलग्नकः उपराक्तानुसार
मानचित्र 01 वर्क



 (विभाग केन्द्रीय संस्कृति एवं परिक्षेत्र)

प्रभारी उच्चनिवेशक मरादाबाद परिक्षेत्र

 मुख्य अग्निशमन अधिकारी

 मरादाबाद

मुरादाबाद / अमरोहा।

प्रतिलिपि:

- *१-प्रभारी अग्निशमन केन्द्र अमरोहा को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु।
२-प्रबन्धक, लिटिल स्कोलर्स ऐकेडमी जोया अमरोहा रोड, अमरोहा को सूचनार्थ व आठकाठा हेतु।